

Sl. No. D/

**BEFORE NOTARY/EXECUTIVE MAGISTRATE AT MADHUPUR**

1. 125540

A.F.N. 6/22/20  
09-7-20

Dist. Deoghar (Jharkhand)

AFR 125540

नक्शा स्वीकृत हेतु

में राजश्री देवी पति-आनंद प्रसाद उम्र 54 वर्ष साकिन-गौधी चौक मधुपुर, थाना व अंचल-मधुपुर, अनुमंडल-मधुपुर, जिला-देवघर, झारखंड शपथपूर्वक ब्यान करती हैं कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पता का स्थायी निवासी हूँ।  
2. यह कि जमीन मधुपुर नगर पालिका के अंदर आती है जिसका पुराना वार्ड नं०-8 होल्डिंग नं०-पुराना 9 नया 0080000392000A4 है। मेरे जमीन का विवरण इस प्रकार है कि थोका नं०-6, स्थानीय माप से 12 धुर वार्ड नं०-9, होल्डिंग नं०-8 सेल डीड नं०-1390, 1305, एवं डीड नं०-1389, 1304 थाना नं०-269 चौहददी :- उ०-नारदीय देवी का मकान, द०-मो० असरफ का मकान, पू०-नगरपालिका रोड, प०-रेलवे की इन्स्टीटयुट साथ में डीड की छाया कौपी संलग्न कर रही हूँ जो दोनों डीड का डेट एक ही 14/04/1989 को निबंधन कार्यालय से तैयार किया गया इसके साथ में शपथ पत्र दाखिल मधुपुर नगरपालिका का रसीद मेरे नाम पर दाखिल की हूँ जो रसीद वर्ष 2018-2019, 2019-2020 का है साथ में नामांतरण का फॉर्म के साथ दाखिल की हूँ। उपरोक्त कागजात मेरे द्वारा सही व साफ व पाक है।

3. यह कि मेरा आधार नं०-901198998631 एवं मेरा मो० नं०-8860273532

यह कि यह सम्पत्ति मेरी नानी सास रामप्यारी देवी की थी और यह सम्पत्ति उसकी निजी सम्पत्ति है मैं उसकी वारिसान हूँ इस मकान को मेरे अपने चाचा मधुपुर गरीबन सिंह और उनकी पत्नी गौरी देवी ने रामप्यारी देवी से खरीदी तत्पश्चात उनका स्वर्गवास होने के बाद मधुपुर नगरपालिका में मैंने अपना नाम से नामाकरण करवा लिए है और मेरे ही नाम से रसीद भी कट रही है जो रसीद 28/11/2019 की है। जिस रसीद की छाया प्रति इस शपथ पत्र के



REDACTED

AI DUAL CAMERA

2020/8/11 20:49

2.

5. यह कि यह मकान 100 साल से भी ज्यादा पुराना है तथा वर्तमान में इसकी स्थिति काफी जर्जर अवस्था में हो चुकी है और मैं अपने पुरे बाल बच्चों के साथ इस मकान में निवास कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि नक्शा पास कराकर मैं अपना मकान को नये सिरे से बनवाना चाहती हूँ यदि इस मकान को यदि नहीं बनवाया गया तो कभी भी मकान गिरने से मेरे एवं मेरे बच्चों के साथ अप्रिय घटना घट सकती है।

6. यह कि मैं उक्त मकान का नक्शा मधुपुर नगरपरिषद से स्वीकृति कराना है अभी यह सरकारी का नियम बन गया है कि जब तक नक्शा का स्वीकृति नहीं होगा तब तक मकान का नव निर्माण नहीं कर सकते है इसलिए मधुपुर नगरपालिका से मुझे कहा गया कि आप पहले नव निर्माण नक्शा नगर पार्षद से स्वीकृति कराये।

7. यह कि मैं इसलिए इस शपथ पत्र की आवश्यकता आ गयी है।

8. यह कि मैं इस शपथ पत्र का नक्शा पास करने के सिवाय किसी और

9. कार्य में दाखिल नहीं करूंगी।

यह कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं कोई भी बातें

छिपाई नहीं है।



21/11/2020

शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना  
हस्ताक्षर किया।

*Raj Kumar Bhandari*  
06/11/2020

शपथकर्ता का हस्ताक्षर  
शपथकर्ता को श्री / *Raj Kumar Bhandari* अधिवक्ता,  
मधुपुर द्वारा पहचाने गये इन्होंने हमारे सामने इस शपथ  
पत्र में उल्लेखित कथन को स्वीकार और अंगिकार  
किया।

समक्ष कार्यपालक दण्डा 10 मधुपुर  
**समक्ष कार्यपालक दण्डाधिकारी**  
**मधुपुर (देवघर)**